तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
24.2.20	पत्रावली पेश हुई। जिसमें प्रार्थीगण श्योकरण पुत्र नत्थू व जगदीश, महावीर पि.ख्यालीराम जाति जाट निवासीगण बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम चक 5 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 85/70 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 व चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता संख्या 76/67 जमाबन्दी सम्वत 2071 में सांझा खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 व 3 के पिता ख्यालीराम ने जरिये रजि.बैयनामा दिनांक 14.06.1965 को रावताराम पुत्र मेवाराम से उक्त चकों में कुल 10 बीघा भूमि खरीद की थी किन्तु मुताबिक बैयनामा का इंतकाल दर्ज नही हो सका बल्कि भूलवंश कम किसा दर्ज हुअ इसलिए मूल दोनों चकों में चक नं. 5 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 85/70 में 0.658 है. मे प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व प्रार्झी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा बढाना चाहते है व चक 6 एनटीडब्ल्यू के खाता संख्या 76/67 में प्रार्थी संख्या 1 का 0. 135 है. मे से 1/2 है. प्रार्थी संख्या 2 व 3 का 1/2 हिस्सा बढाया जाने के संबंध में तहसीलदार राजस्व संगरिया से रिपोर्ट लिये जाने पर उन्होने अपने पत्रांक भू.अ./2019/4577 दिनांक 09.12.2019 द्वारा अवगत करवाया कि प्रार्थीगण द्वारा अनुतोष चाहा गया है जो कि तथ्यों को दरकिनार कर प्रस्तुत किया गया है क्योकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत की गई बैयनामा की चित्र प्रति का नामान्तकरण का अमलदरामद मिशल बन्दोबस्त में ही हो चुका है और वर्तमान चालू जमाबन्दी में वादीगण व रावतारा पुत्र मेवा का नाम जरिये हुकमन आदेश श्रीमान् उपजिलाधिश महोदय हनुमानगढ़ के आदेश क्रमांक 396 दिनांक 10.02.1978 के द्वारा खाता विभाजन के नामान्तकरण चक 5 एनटीडब्ल्यू के नामान्तकरण संख्या 10 व चक 6 एनटीडब्ल्यु के नामान्तकरण सख्या 16 दिनांक 12.04.1978 के अमल होना बतलाया है। अतः उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के कारण उक्त शुद्वी प्रकरण में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।